महात्मा गांधी नरेगा टोल फ्री हैल्पलाईन नम्बर 1800-180-6127

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग–3)

क्रमांकः 51(21)ग्रावि / नरेगा / सा.बै. / 2016–17 जयपुर, दिनांक : 21 APR 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा, समस्त राजस्थान।

विषय :– ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा (21 से 24 अप्रैल 2016) में पूरक वार्षिक कार्य योजना 2016–17 में **''खेल के मैदान का विकास''** कार्य लेने बाबत।

महोदय / महोदया,

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण के बिन्दु संख्या 212 में **''शिक्षा विभाग के तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में उपलब्ध खेल मैदानों के विकास हेतु मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना वर्ष 2016–17 में 2000 ऐसे खेल के मैदान विकसित किये जायेंगे, जिन पर लगभग 150 करोड़ रूपये का व्यय होगा'',** की घोषणा की है। घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में विभाग द्वारा पूर्व में ही जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये है। विभिन्न गतिविधियों के कार्य पूरक वार्षिक कार्य योजना 2016–17 में जोड़े जाने हेतु निर्देश विभागीय पत्रांक 51(21)ग्रावि / नरेगा / सा.बै. / 2016–17 दिनांक 20.04.2016 द्वारा जारी किये गये है।

इस संबंध में पुनः लेख है कि बजट घोषणा के अनुरूप **खेल के मैदानों का विकास** किये जाने के कार्य भी पूरक वार्षिक कार्य योजना में आवश्यक रूप से शामिल किये जावे तथा तद्नुरूप स्वीकृति एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाया जावे।

उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत संरपच, सचिव को आपके स्तर से शीघ्र निर्देश जारी कर पालना कराई जावे।

भवदीय,

21/4/16

(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव (शिक्षा)।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4 निजी सचिव, राज्य मिशन निदेशक, राजीविका।
5 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस / अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम / द्वितीय) / वित्तीय सलाहकार, ईजीएस / अधीक्षण अभियंता / प्रभारी अधिकारी श्री योजना / अधिशाषी अभियंता (वी / ए) / परियोजना अधिकारी, ईजीएस / सहायक अभियन्ता (एन / एस), ईजीएस।
7 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
8 रक्षित पत्रावली।

21/4

अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस

E:\Vipin Choudhary\2016\Sangita Jain\Letter 2016.doc 13